राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 03/2013
शंकर लाल कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री दलवीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक गणित ग्रेड–द्वितीय के पद पर दिनांक 22.12.1973 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक 27.08.1997 को हुई थी। अपीलार्थी को पातेय वेतन पर प्रधानाचार्य के पद पर आदेश दिनांक 15.04.2010 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने आगे यह अंकित किया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.01.2011 को हुई। अपीलार्थी पीजी डिग्री धारित करता था, जिस कारण अपीलार्थी 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 28.05.2008 प्रेषित कर वरिष्ठ वेतनमान वेतन श्रृंखला 8000–13500 में दिये जाने की प्रार्थना की। अपीलार्थी ने एक अन्य प्रार्थना पत्र भी 20 एवं 30 वर्षीय एसीपी का लाभ दिये जाने के लिये प्रस्तुत किया। आदेश दिनांक 07.12.2010 के द्वारा अपीलार्थी को पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 4800 में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। इसके पश्चात वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ संशोधित किया गया और अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश दिनांक 18.04.2011 को पारित किया। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित

किये है कि अपीलार्थी के पास एम.एड. की डिग्री थी। इस कारण से अपीलार्थी दिनांक 09.11.1994 से एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने का आदेश पारित किया गया, परन्तु उक्त लाभ दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी को कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.01.2011 को हुई। अपीलार्थी के सेवानिवृति के समय पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ नहीं दिये गये। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया परन्तु अपीलार्थी को लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलार्थी को पेंशन का लाभ, पीपीओ दिनांक 29.07.2012 के द्वारा दिया गया और ग्रेच्युटी का लाभ जीपीओ आर्डर 30.07.2012 के द्वारा दिया गया। पेंशन कम्यूटेशन लाभ के लिये आदेश दिनांक 30.07.2012 जारी किया गया। अपीलार्थी को जो पेंशन लाभ देरी से दिये गये है, उन पर अपीलार्थी को कोई ब्याज का भुगतान नहीं दिया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

(i) "That the appeal of the appellant may kindly be allowed and the Hon'ble Tribunal may be pleased to call entire record relating to the case and after examine the same may be pleased to grant ACP to the appellant on completion of 20 and 30 years of service w.e. from 01.09.2006 and also to grant the senior scale 8000-13500 (Scale No.13) w.e. from 01.09.1996 after completion of 8 years of service with all consequential benefits along with its arrears with interest.

(ii) That the respondents be directed to grant monitory benefits to the appellant of one annual grade increment, which had already been sanctioned vide order dated and the 17.01.2011 (Anx.10) recovery amounting to Rs. 44,228/- made against him from his gratuity may be refunded along with 9% interest and the respondents be further directed to grant interest on the delayed payment of his pensionary benefits after 19 months w.e. from 01.02.2011 to 30.08.2012 @ 9% interest per annum with all consequential benefits and the respondents be further directed to make the due payment of TA bills amounting to Rs. 12,500/-

along with interest of 9%. An appropriate orders of arrears may be passed in this regard and paid to him along with 9% interest on his all due claims and PPO, GPO and CPO may be revised accordingly.

(iii) Any other appropriate order or direction which may be considered just and proper in the facts and circumstances of the case may also be passed in favour of the appellant.

(iv) Cost of this appeal as well as legal expenses may also be awarded in favour of the appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने प्र.अ. मावि. पद पर दिनांक 13.09.1997 को कार्यग्रहण किया तद्नुसार प्र.अ. पद पर 08 वर्षीय सेवा दिनांक 13.09.1995 को होती है, पुनरीक्षित वेतनमान –1998 प्रभावी 01.07.1996 में वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने हेतु 08 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के साथ ही स्नातकोत्तर शैक्षिणिक योग्यता होने पर ही वरिष्ठ वेतनमान देय है। अपीलार्थी द्वारा स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता 13.09.2005 के पश्चात् ही अर्जित की गयी है। अपीलार्थी की मॉग स्वीकार नहीं है, सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार वेतन उन्नयन/एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जा सकता है, दिनांक 25.01.1992 को अपीलार्थी दो चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त कर चुके है, और तीसरा एसीपी का लाभ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होता है। जिला शिक्षा अधिकारी मा०शि० कार्यालय स्तर पर स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि त्रुटि पूर्ण होने से अधिक भुगतान की वसूली की गयी, जो उचित एंव नियमानुसार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिर्णय वी. गंगाराम बनाम रीजिनल संयुक्त निदेशक एस. सी. सी 1997 वाल्यूम न. 06 पेज न. 139 में स्पष्ट कर दिया है कि अगर गलती से किसी को अधिक भुगतान कर दिया है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है। इसी प्रकार एटीजे 2000(3) पेज न. 208 में स्पष्ट है कि अगर किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान कर दिया है तो उसकी रिकवरी जायज है। अपीलार्थी के एम.एड. उत्तीर्ण करने की तिथि 09.11.2004 को द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत् था। पुनरीक्षित वेतनमान 1989 की अनुसूची चतुर्थ नियम–13 के अन्तर्गत सेवा में रहते हुये प्रारम्भिक उच्च वेतन 1440/– या एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान है, जो कि अपीलार्थी को स्वीकृत की जा चुकी है तथा इससे प्रभावित समस्त पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधित स्थिरीकरण अनुमोदित कर दिये गये है और यात्रा भत्ता क्षतिपूर्ति

भत्ता होने से कर्मचारी उसको आर्थिक लाभ का साधन नहीं बना सकता तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय में इसके लिये वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अपीलार्थी के द्वारा समय रहते क्लेम नहीं किया गया। इसलिये अवधि पार नियमानुसार देय नहीं है। अपीलार्थी का विवाद रिटायरमेंट दिनांक 31.01.2011 के पूर्व का है, और अपील पेश की 2013 में, जो कि अपीलार्थी के द्वारा समय रहते माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश नहीं की, इसलिए भारतीय लिमीटेशन अधिनियम की धारा–05 एवं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा–09 के अनुसार इतने लम्बे समय के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर इस प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार।
4. जहां तक अपीलार्थी को 20 एवं 30 वर्षीय एसीपी का लाभ दिये जाने का प्रश्न है, तो प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को 2 चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है परन्तु अपीलार्थी को 2 चयनित वेतनमान का लाभ कब प्राप्त हुआ है, इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अपीलार्थी को केवल मात्र एक पदोन्नति प्रदान की गयी थी। अपीलार्थी की दूसरी पदोन्नति पातेय वेतन पर पदोन्नति पद पर पदस्थापन के आदेश है, वह नियमित पदोन्नति नहीं मानी जा सकती। ऐसे में उस पदस्थापन के आधार पर अपीलार्थी का चयनित वेतनमान का लाभ नहीं रोका जा सकता। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाना उचित प्रकट होता है कि अपीलार्थी के 20 एवं 30 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पातेय वेतन पर पदोन्नति पद पर कार्यरत होने को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी के चयनित वेतनमान के लाभ के बारे में पुर्नविचार किया जाए एवं अपीलार्थी को 20 एवं 30 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देय होने पर उसे लाभ प्रदान किया जाए।
5. अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में भी विचार किया गया। अपीलार्थी ने चूंकि पीजी डिग्री दिनांक 09.11.1994 को प्राप्त कर ली थी। ऐसे में अपीलार्थी के पास एम.एड. पीजी डिग्री दिनांक 09.11.1994 से होने के आधार पर यदि अपीलार्थी वरिष्ठ वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है तो उसे उक्त लाभ प्रदान किया जाए।

6. अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा एम.एड. परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया, परन्तु अपीलार्थी को उक्त आदेश के आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया गया। हम यह पाते है कि अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि का लाभ आदेश दिनांक 17.01.2011 के द्वारा दिया गया था, जिसके आधार पर अपीलार्थी को उक्त वास्तविक लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति के पश्चात राशि 44228/– की वसूली की गयी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में यह प्रतिपादित किया है कि सेवानिवृति के पश्चात वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से ग्रेच्यूटी की राशि में से जो वसूली की गई है, उसे अपीलार्थी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से लौटाई जाए।

7. अपीलार्थी की यह भी प्रार्थना है कि अपीलार्थी को सेवानिवृति लाभ दिये जाने में देरी की गयी है, जिस पर वह ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

8. अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में जो देरी हुई है, उसमें अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं रही है। अतः उक्त अवधि के लिये अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में हुई देरी के लिए अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज का भुगतान किया जाये।

9. अपीलार्थी ने टी.ए. बिल के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की है। जहां तक टी.ए. बिल के भुगतान किये जाने का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के टी.ए. बिल के सम्बन्ध में जांच करे एवं यदि उचित पाया जाता है तो अपीलार्थी को टी.ए. बिलों का भुगतान किया जाए।

10. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)